1639
संख्या–1639 / 69–1–2016–14(90) / 2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

4389/ds
19/08/16

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आरक्षण
19/08/16
03:30pm

नगरीय रोजगार एंव गरीबी
उन्मूलन कार्यकम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक: 17 अगस्त, 2016

विषय:मानव चालित रिक्शो चालकों को मोटर/बैटरी चालित ई–रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची की जांच।

महोदय,

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग द्वारा संचालित रिक्शा योजना के अन्तर्गत ई–रिक्शा वितरण हेतु तैयार की गयी लाभार्थियों की पात्रता सूची में अनियमितता बरते जाने की शिकायतें कतिपय जनपदों से प्राप्त हुई हैं। रिक्शा योजना के कियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–35 / 69–1–13–14(31) / 2012टीसी, दिनांक 24.01.2013 में लाभार्थियों की पात्रता शर्तें निर्धारित की गयी हैं। उक्त पात्रता शर्तों के अनुसार पात्रता सूची तैयार न किये जाने की शिकायतों के दृष्टिगत शासन द्वारा पात्रता सूची की जांच मण्डलायुक्त से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिक्शा योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के पात्र लाभार्थियों की तैयार की गयी सूचियों की प्रमाणिकता की जांच कृपया अपने स्तर से ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों की समिति गठित कर कराने का कष्ट करें, जो योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार किये जाने की प्रकिया में किसी भी स्तर पर सम्बद्ध न रहे हों। कृपया अपने मण्डल के अधीन सभी जनपदों में जहां ई–रिक्शा का वितरण किया जा चुका है अथवा जहां अभी ई–रिक्शा का वितरण किया जाना है, में तैयार की गयी लाभार्थियों की सूची की जांच 10 दिन में सम्पादित कराकर जांच आख्या निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा सम्बन्धित जांच आख्याओं का परीक्षण कर अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

Mr. Upadhyay / Srivastava
19/8/16

भवदीय,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–1639 / 69–1–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आशय से कि वह जांच से सम्बन्धित सभी अभिलेख मण्डलायुक्तों को अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि समस्त नगर निकायों द्वारा तैयार सूची एवं उससे सम्बन्धित अन्य अभिलेख जांच हेतु मण्डलायुक्त को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।